Azadi Ka Amrit Mahotsav

International Year of Cooperatives 2025

कार्यालय प्रधानाचार्य राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर

कमांक :–व.15( )आरपीटीसी–जोध/विविध/2025/1098-1105 दिनांक :– 12-03-26

तरल केन्टीन ठेका विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में स्थित तरल केन्टीन (चाय केन्टीन) का वार्षिक ठेका (अनुबन्ध) वित्तीय वर्ष 2026–27 (दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027) तक की अवधि हेतु खुली बोली द्वारा दिया जाना है।

अतः इच्छुक व्यक्ति/फर्म दिनांक 23.03.2026 को प्रातः 11:00 बजे खुली बोली हेतु उपस्थित होगें। ठेके की पूर्ण शर्ते/जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती हैं। बोली दाता को बोली लगाने से पूर्व 20000/– रू धरोहर राशि के जमा करानी होगी, जो बाद अन्तिम व द्वितीय बोली दाता के अलावा अन्य सभी को वापस लौटा दी जायेगी।

तरल केन्टीन ठेका बोली स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कमेठी के पास सुरक्षित रहेगा, जो सभी को मान्य होगा।

(गोपाल सिंह भाटी)
कमाण्डेन्ट
राज0 पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र
जोधपुर

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. श्रीमान प्रधानाचार्य, आरपीटीसी जोधपुर।
2. कमाण्डेन्ट, पीसीटीएस,/पीटीएस, जोधपुर।
3. संचित निरीक्षक, आरपीटीसी जोधपुर।
4. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी सूचना केन्द्र जयपुर को दो प्रतियों में भेजकर लेख है दिनांक 23.03.2026 से पूर्व उपरोक्त तरल केन्टीन ठेका विज्ञप्ति नियमानुसार एक राज्य स्तरीय जोधपुर स्थानीय संस्करण के समाचार पत्र में छोटे अक्षर में साईज 7.X 4.30, CM में प्रकाशित करवाकर एक प्रति इस को भिजवाने का श्रम करावें।
5. नोटिस बोर्ड, आरपीटीसी जोधपुर।
6. प्रभारी, लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
7. सहायक प्रोग्रामर आरपीटीसी जोधपुर को भेजकर लेख है कि तरल केन्टीन ठेका विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल एवं शासकीय वेबसाईट पर प्रकाशन कराने हेतु।

कमाण्डेन्ट
राज0 पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र
जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by Gopal Singh Bhati
Designation : Additional Superintendent of Police
Date: 2026.03.12 15:57:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21000063
eSign 1.0

Azadi Ka Amrit Mahotsav

International Year of Cooperatives 2025

।। कार्यालय प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर।।

कमांक :–व.15( )आरपीटीसी–जोध/विविध/2025/ 1106-10 दिनांक :– 12-3-26

तरल (चाय) केन्टीन के ठेके (अनुबन्ध) की शर्तें

1. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अन्तर्गत सभी प्रकार के लाईसेंस लेने व उक्त अधिनियम अन्तर्गत समस्त प्रावधानों की पालना का दायित्व ठेकेदार का होगा।
2. तरल केन्टीन का ठेका एक वर्ष की अवधि (दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027) के लिये दिया जायेगा, अवधि कम एवं बढाने का अधिकार इस कार्यालय का होगा।
3. प्रत्येक बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व पेनकार्ड, अपना परिचय पत्र एवं राशि 20,000/–रू (बीस हजार मात्र) धरोहर के रूप में जमा करवानी होगी। उक्त राशि जो बोली समाप्ति पर उच्चतम प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बोली दाता को छोडकर सभी को लौटा दी जायेगी।
4. सफल बोलीदाता को जमानत के रूप में तीन माह के ठेके की उच्चतम बोली की राशि का 50 प्रतिशत बोली समाप्ति पर उसी समय जमा करानी होगी, एवं शेष 50 प्रतिशत राशि तीन दिवस में जमा कर निर्धारित समय में केन्टीन का चार्ज लेना होगा अन्यथा पूर्व में जमा राशि जब्त कर ली जायेगी। इस राशि पर कोई ब्याज नही दिया जायेगा। बीच में ठेका छोडने पर तीन माह की जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. केन्टीन का किराया जमा कराने के आदेश के तीन दिवस के भीतर केशियर को जमा कराना होगा।
6. पान, सिगरेट, बिडी, गुटखा अथवा अन्य कोई तम्बाकू युक्त पदार्थ केन्टीन में नही रखे जायेगें न ही बेचा जायेगा। न कोई धुमपान करेगा।
7. संस्थान द्वारा केन्टीन के लिये जो स्थान निर्धारित है, वही पर केन्टीन चलानी होगी।
8. केन्टीन के लिये दिये गये स्थान में किसी प्रकार का परिवर्तन/तोडफोड नही की जा सकेगी, अगर ऐसा किया गया तो ठेकेदार को हर्जाना देना होगा व ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
9. केन्टीन में उपयोग ली जाने वाली बिजली, पानी का खर्च ठेकेदार को अलग से जमा कराना होगा और उसका सब मीटर स्वंय के खर्चे पर अलग से लेना होगा।
10. केन्टीन साफ सुथरी एवं स्वच्छ रखनी होगी, स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक किसी प्रकार की नशीली वस्तुओं जैसे भांग, चरस, गांजा, अफीम, डोडा पोस्त एवं शराब आदि का विक्रय या प्रयोग ठेकेदार केन्टीन में ना तो स्वंय करेगा ना ही किसी अन्य व्यक्ति को करने देगा।
11. केन्टीन मे बेची जाने वाली वस्तुओं की दरे ठेकेदार एवं गठित बोर्ड द्वारा तय की जायेगी तथा कमेटी का निर्णय अन्तिम होगा, जिसकी सूचना हेतु सूचना पट्ट पर दर सूची स्वंय को लगानी होगी।
12. केन्टीन में क्रोकरी आदि बढिया किस्म की प्रयोग करनी होगी व अन्य सामान भी अच्छी किस्म का प्रयोग करना होगा, जिसका निरीक्षण अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा एवं अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
13. केन्टीन ठेकेदार को नगद भुगतान के द्वारा ही सामान विक्रय करना होगा। केन्टीन के द्वारा कोई वस्तु किसी को उधार देने पर स्वंय की जिम्मेवारी होगी और उस संबंध में किसी के विरूद्ध कोई शिकायत नही सुनी जायेगी।
14. ठेकेदार को अपना ठेका या उसका कोई हिस्सा किसी एजेन्सी को हस्तान्तरित अथवा सबलेट करने का अधिकार नही होगा, ऐसी दशा में ठेका निरस्त माना जायेगा तथा जमानत राशि जब्त की जायेगी।
15. आरपीटीसी जोधपुर के चिकित्साधिकारी अथवा अन्य कोई भी अधिकृत अधिकारी केन्टीन का किसी भी समय निरीक्षण कर सकते है केन्टीन में प्रयोग आने वाली वस्तु खराब या घटिया किस्म की पाई जाने पर ठेका रद्द कर दिया जायेगा एवं जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
16. सफल ठेकेदार को कार्य शुरू करने से पूर्व 500/– रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर लिखित अनुबन्ध निष्पादित करना होगा, जिस पर स्टाम्प आदि का खर्चा स्वंय ठेकेदार का होगा।
17. केन्टीन मे ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का मांसाहार एवं अण्डा बिकी/प्रयोग नही किया जायेगा।
18. केन्टीन मे विक्रय हेतु सामग्री में एग–मार्क मूंगफली का तेल व वनस्पति घी का प्रयोग किया जायेगा।
19. केन्टीन में भारत सरकार के उपकम की रसोई गैस के अलावा अन्य कोई ईंधन इस्तेमाल नही किया जायेगा।
20. खाने पिने की वस्तुओं को ढक कर रखना होगा।
21. केन्टीन भवन पर ठेकेदार का मालिकाना हक नही होगा।

RajKaj Ref No.: 21000063
eSign 1.0
Signature valid
Digitally signed by Gopal Singh Bhati
Designation : Additional Superintendent of Police
Date: 2026.03.12 ...:57:32 IST
Reason: Approved

22. ठेके की किराया दर प्रति माह 1000 की ईकाई (आरपीटीसी एवं पीसीटीएस जोधपुर के स्थाई स्टॉफ एवं प्रशिक्षणार्थी) मान कर तय की जायेगी, तथा स्थाई स्टॉफ व प्रशिक्षणार्थियों की वृद्धि होने पर किराये में अनुपातिक रूप से वृद्धि एवं कमी होने पर अनुपातिक रूप कमी की जायेगी। इस संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ऐसे प्रशिक्षणार्थियों जिनके आवास की व्यवस्था प्रथम बटालियन आरएसी अथवा अन्य निकट स्थल पर होने पर उनकी गणना किराया में सम्मिलित की जायेगी।
23. ठेके के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद के लिए अद्योहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय ही मान्य व अन्तिम होगा, जिसके लिये किसी भी प्रकार की कोई अपील नही की जा सकेगी।
24. ठेका अवधि में संस्थान परिसर में स्टॉफ का या बाहरी व्यक्ति किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री (दूध, दही आदि) का बेचान नही करेगा, यदि बेचान करता हुआ पाया गया तो संस्थान द्वारा उसकी खाद्य सामग्री जब्त कर ली जायेगी एवं स्टॉफ या उसके परिजन इसका उल्लंघन करते हुयें पाये गये तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
25. केन्टीन में चाय/कॉफी के डिस्पोजल कप प्लास्टिक के प्रयोग नही किये जायेंगें, कागज के उच्च क्वालिटी के कप का ही प्रयोग किया जायेगा। चाय/कॉफी आदि प्लास्टिक की थेली में नही दी जायेगी।
26. केन्टीन में बिक्री की जाने वाली वस्तु जिस पर कीमत अंकित हो कीमत से अधिक राशि से बिक्री नही करेगें। इसका उल्लंघन करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
27. केन्टीन में बिक्री की जाने वाली वस्तु जो पैकेट में पैक है, उसकी गुणवता का जिम्मेदार स्वंय केन्टीन ठेकेदार होगा। चाय 5 रूपये प्रति कप, कॉफी 8 रूपये प्रति कप 100 मि.लि. मात्र होगा।
28. ठेकेदार को प्रर्याप्त मात्रा में कुशल कर्मचारी रखने होगें तथा कोई बालश्रमिक नही रखा जायेगा। श्रम अधिनियम तथा सुसंगत अन्य अधिनियमों की पालना का दायित्व ठेकेदार का होगा। केन्टीन में कार्यरत कर्मचारियों को साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा, तथा गन्दगी पाई जाने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
29. जीएसटी के संबंध में किसी भी प्रकार के प्रावधान/नियम के लागू होने पर समस्त प्रावधानों/ नियमों की पालना का दायित्व ठेकेदार का होगा।
30. ठेकेदार द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर ठेका निरस्त कर जमानत राशि को जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। साथ ही इस प्रकार निरस्त किये गये ठेके के लिये अनुबन्धकर्ता को वैधानिक अधिकार नही होगा।
31. केन्टीन प्रातः 04 बजे से ग्रीष्मकाल में तथा प्रातः 05 बजे से शीतकाल से रात्रि 10 बजे तक खुली रखनी होगी।
32. तरल केन्टीन में काम करने वालो का नाम पता की पूर्ण सूचना देनी होगी।

(गोपाल सिंह भाटी)
कमाण्डेन्ट
राज0पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र,
जोधपुर

प्रतिलिपी :– निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान प्रधानाचार्य, आरपीटीसी जोधपुर।
2. गठित कमेटी सदस्य।
3. प्रभारी लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
4. संबंधित फर्म।
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

कमाण्डेन्ट
राज0पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र,
जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by Gopal Singh Bhati
Designation : Additional Superintendent of Police
Date: 2026.03.12 15:57:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21000063
eSign 1.0